FIVE RUPEES पाँच रुपये (court fee stamps)

151

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म०प्र०, ग्वालियर।

प्रकरण क्रमांक /निग०/2004 सतना

R-1661-I/2004
श्री कुँअर सिंह कुशवाह अभि० द्वारा दिनांक 14-12-04 को प्रस्तुत।
अवर सचिव राजस्व मंडल, म०प्र० ग्वालियर

रघुवंशप्रसाद मिश्रा पुत्र स्व०रामनारायण मिश्रा, निवासी-ग्राम बगहा, तहसील-रघुराजनगर, जिला-सतना

----निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

1. सुनील सिंह पुत्र बद्रीप्रसाद, निवासी-गंगुरी बिल्डिंग कुटेही, जिला - रीवा

2. श्री कांती यदुवंशी पुत्र सुन्दरलाल निवासी-मास्टरप्लान, तहसील-रघुराजनगर, जिला सतना

---गैर निगरानीकर्ता।

(कुंवर सिंह कुशवाह) (एडवोकेट)

14-12-04

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त, रीवा प्रकरण क्रमांक /412/अपील/02-03 आदेश दिनांक 19-11-04 को पारित जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि 2-12-04 को प्राप्त हुई।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यह कि, आ०क्र०327/1क और 328/1क मौजा बगहा, तहसील रघुराजनगर सतना म०प्र० रिस्पो० क्र02 भूमिस्वामित्व की आराजियां है और आराजी क्र० 327/1ख तथा 328/1 ख निगरानीकर्ता के भूमिस्वामित्व की आराजियां है। यह आराजियात दोनों पक्षों को व्यवहार वाद क्र0135ए/80 में पारित आज्ञप्ति के अनुसार किए गये बटवारा जो अन्तिम हो चुका है और इस सम्बन्ध में इजरा क्रमांक 8ए/89 निर्णय दिनांक 26-3-90 में और जिलाध्यक्ष सतना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11-12-95 प्र०क्र०/71 बी0 121/94-95

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1661–एक/2004 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26 –9–2016	आवेदक अभिभाषक श्री कुंवरसिंह कुशवाह एवं अनावेदक अभिभाषक श्री आर0एस0 सेंगर द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 412/अपील/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 19–11–04 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे प्रकट होता है कि अनावेदक कमांक 1 सुनील सिंह द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि के अंश भाग के नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसपर पर विचारण ने उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत आदेश दिनांक 28–10–02 के द्वारा अनावेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया। विचारण न्यायालय के प्रकरण में संलग्न आवेदक के कथन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक ने प्रतिपरीक्षण के समय यह स्वीकार किया था कि कांति देवी ने आवेदक को अपनी भूमि का विकय किया है। चूंकि आवेदक द्वारा अनावेदक कमांक 2 कांती यदुवंशी को विकय किया है और विकय पत्र के आधार पर ही अनावेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा नामांतरण नियमों का पालन का विधिवत अनावेदक कमांक 2 के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया है। इस कारण अपर	